न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – रेखा गुर्जर आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 154 / 2025 राजस्व वाद

01. श्री सुनील पुत्र श्री वंशी लाल जी भंगी आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा हाल निवासी– रेलमंगरा जिला राजसमन्द (राज0)
02. श्री राजकुमार पुत्र श्री वंशी लाल भंगी आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा हाल निवासी– रेलमंगरा जिला राजसमन्द (राज0)
03. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री वंशी लाल भंगी आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा हाल निवासी– रेलमंगरा जिला राजसमन्द (राज0)

—— वादीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र बावत घौषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89, 92–क राज0टि0एक्ट

उपस्थित :–

. श्री बन्टु सिह चुण्डावत —अधिवक्ता वादी

. पेरोकार सरकार ——प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक–02.12.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी आराजियात वाके ग्राम ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक वृत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के जमांबदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 133 आराजी नम्बर 2371 / 439 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 438 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी म्बर 439 रकबा 0.3667 हैक्टयर, आराजी नम्बर 440 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 441 रकबा 0. 306 हैक्टयर, आराजी नम्बर 442 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 443 रकबा 0.0379 हैक्टयर, राराजी नम्बर 444 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.0506 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 6692 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के स्वर्गीय पिता / पति श्री बंशी पुत्र भागू जी के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है, जिसमे वादीगण के पिता / पति का 1 / 9 व 1 / 3 क हिस्सा कुल 4 / 9 हक हिसा निहत है, जिस पर वादीगण विरासतीय हक अधिकार से काबिज होकर पयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण के पिता / पति श्री बंशी पुत्र श्री भागू जी की दिनांक / 05 / 2025 को मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बंशी पुत्र भागू की प्रथम श्रेणी की वारीसान होकर जायन्दा पुत्र / पत्नी है तथा वादपत्र की चरण संख्या 01 मे र्णित आराजियात के पिता / पति श्री बंशी पुत्र श्री भागु जी के हक हिस्से का वादीगण को खातेदार श्तकार घौषित होने के अधिकारी है एवं वादीगण राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम पर करवाने के अधिकारी वंशी पुत्र श्री भागू की मत्यु उपरान्त वादीगण ने वादपत्र की चरण ।संख्या 01 मे वर्णित आराजियात का मान्तरणकरण विरासत के आधार पर खुलवाने हेतु दिनांक 11 / 06 / 2025 को प्रतिवादी के यहां आवेदन या, लेकिन नामान्तरणकरण नही खोला व बाद मे वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रेकार्ड मे ी लाल पुत्र श्री भागू दर्ज होने व राजकीय दस्तावेज मे बशी लाल पुत्र श्री छोगा लाल अंकित होने से क्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी। वादीगण ने खातेदार काश्तकार घौषित करने हेतु वेदन किया।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किये गये व तिवादी के जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया गया। वादी द्वार स्वयं का शपथपत्र व दस्तावेजात किये गये, जिन्हे प्रदर्शित किया गया।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व धिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बंशी लाल पुत्र श्री भागू व बंशी लाल

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करे

पुत्र श्री छोगा लाल एक ही व्यक्ति होने व वादीगण बंशी लाल पुत्र श्री भागु के विधिक वारिसान होने से नामान्तरणकरण खोलने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादीगण जो कि बंशी लाल पुत्र श्री भागु के वारिसान होने से बंशी लाल पुत्र श्री भागु की विरासत से भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का आवेदन स्वीकार कर ग्राम ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 133 मे आराजी नम्बर 2371 / 439 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 438 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 439 रकबा 0.3667 हैक्टयर, आराजी नम्बर 440 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 441 रकबा 0.4806 हैक्टयर, आराजी नम्बर 442 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 443 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 444 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.0506 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 1.6692 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड मे खातेदार बंशी पुत्र श्री भागु का नाम विलोपित किया जाकर बंशी पुत्र श्री भागु का कुल हिस्सा 1 / 9 एवं 1 / 3 कुल हिस्सा 4 / 9 वादीगण के नाम पर दर्ज करायी जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)